मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल,मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

फोन–0755–2430154, फैक्स– 2981055

वेबसाईट : www.mperc.in, ई–मेल : secretary @ mperc.nic.in

क्रमांकःमप्रविनिआ/डी(टी) /2023/218 दिनांक : 24/01/2023

आम सूचना

झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड) ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये अपने ग्राम बरेला, गोरखपुर जिला सिवनी मध्यप्रदेश में स्थित 1 X 600 मेगावाट कोयला आधारित बिजली परियोजना के लिये आयोग के आदेश दिनांक 08–05–2021 से अवधारित उत्पादन टैरिफ के सत्यापन के लिये याचिका दायर की है । उक्त याचिका विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 व धारा 86 (1) (a) के तहत मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन शुल्क के निर्धारण के लिये नियम और शर्तें) विनियम, 2020 {आरजी–26 (4), वर्ष 2020} के साथ पठित दायर की गई है ।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ भरपाई के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दावा किये गये वार्षिक निश्चित लागत का विवरण नीचे दिया गया है :

(राशि रू. करोड़ में)

विवरण	आयोग के 08–05–2021 दिनांकित आदेश के अनुसार एएफसी अवधारण वित्तीय वर्ष 2021–22	याचिकाकर्ता के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एएफसी का दावा	सत्यापन राशि
	अ	ब	स = अ–ब
अंश पूंजी पर प्रतिलाभ	153.14	157.17	4.03
ऋण पूंजी पर ब्याज	265.61	273.01	7.40
अवमूल्यन/अवक्षयण	202.37	207.61	5.24
प्रचालन एवं संधारण व्यय	130.26	130.26	0
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज प्रभार	48.50	46.29	(2.21)
घटाया : गैर टैरिफ आय	0.11	0.05	(0.06)
योगः संपत्ति की सेवानिवृत्ति पर नुकसान	0	0.27	0.27
योगः अप्राप्य मूल्यह्रास	0	0.24	0.24
वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभार (एएफसी)	799.77	814.80	15.03
स्थापित क्षमता के 30% के लिए शुद्ध वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभार	**239.93**	**244.44**	**4.51**

आयोग ने याचिका को स्वीकार कर इसे याचिका संख्या **87/2022** के रूप में दर्ज कर लिया है ।

इस संबंध में टिप्पणी/आपत्ति/सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति उनके तथ्यों की पुष्टि में दस्तावेजों और सबूतों की कापियों के साथ उनकी आपत्तियां/टिप्पणी/सुझाव सीधे सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, मेट्रो प्लाजा, पंचम तल, ई–5 अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462 016 को इस प्रकार भेज दें कि इस सूचना के प्रकाशन से 21 दिनों के अंदर आयोग कार्यालय पहुँच जाये । इसकी एक प्रति एजीएम व्यवसायिक, झाबुआ पावर लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड इंजीनियरिंग कार्यालय काम्पलेक्स, तीसरी मंजिल, प्लाट नं. 8 (अ) ब्लाक–अ सेक्टर 24, नोयडा उत्तरप्रदेश पिन–201301 को भी भेज दें । आपत्तियां/टिप्पणी/सुझाव को फैक्स और ई–मेल से भी भेजा जा सकता है ।

इच्छुक व्यक्ति' याचिका (अंग्रेजी संस्करण) की कॉपी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक आयोग कार्यालय या एजीएम व्यवसायिक, झाबुआ पावर लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड इंजीनियरिंग कार्यालय काम्पलेक्स, तीसरी मंजिल, प्लाट नं. 8 (अ) ब्लाक–अ सेक्टर 24, नोयडा उत्तरप्रदेश पिन–201301 से प्राप्त कर सकता है । इसके लिए रू. 200 नगद या किसी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट एमपीईआरसी के नाम से भोपाल में देय या झाबुआ पावर लिमिटेड के नाम से गुरूग्राम में देय होगा। याचिका की कॉपी रू. 50 अतिरिक्त डाक शुल्क भुगतान कर डाक से भी प्राप्त की जा सकती है। यह याचिका आयोग की वेबसाइट www.mperc.in पर भी उपलब्ध है ।

इस प्रकरण में जन सुनवाई का आयोजन **दिनांक 21.02.2023 को प्रातः 11.00 बजे** किया जायेगा । इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. आयोग में भेजकर उक्त जन सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईडलाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आयोग के आदेश से
सचिव